

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी ( नागौर )

मुकदमा नं. .... दीपक प्रमोद - 38 नं. हनुमानगढ़ी जयपुर

तारीख हुकम	Remo - 2009/60050 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
---------------	--	---

06/02/2024 वकालत उपर के कथन के नाम की हज  
 कोर्ट पर (नही) विवे है। प्रथम जमी पुराने कथन के  
 ने कोर्ट पर फांटे का अतिम अन्वय का नाम के कोर्ट  
 पर (नही) फांटे का अतिम पत्र - Order 9 Rules 5 के  
 पर फांटे का नाम का पत्र 1 पत्र का रिकॉर्ड 13/2/2024 को फांटे

उपखण्ड अधिकारी  
 कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

07/02/2024 वकालत फांटे अस्थित । वकील प्रार्थी  
 द्वारा शेष की तलबी हेतु नोटिस तलबाना आज  
 भी प्रस्तुत नहीं । अतः आज ही प्रस्तुत करें ।  
 पत्रावली दर्ज होने से लेकर आज दिनांक तक लंबा  
 समय व्यतीत हो चुका है । प्रकरण काफी पुराना है ।  
 न्यायहित में नोटिस / तलबी प्रस्तुत करने का आंतिम  
 अवसर दिया जाता है । नोटिस / तलबी प्रस्तुत  
 नहीं करने पर प्रार्थना पत्र Order 9 Rule 5  
 C.P.C. में खारिज किया जाएगा । पत्रावली  
 दिनांक 19/2/2024 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
 कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

19/2/2024 वकालत उप. / मूल वाद पत्र खारिज  
 करवाया जा चुका है । और प्रकरण में शेष  
 अप्रार्थित की तलबी भी प्रस्तुत नहीं की गई है  
 अतः प्रार्थना पत्र 09 R5 C.P.C. में खारिज  
 किया जाता है पत्रावली फांटे सुनार होकर  
 नम्बर से फांटे होकर दाखिल दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
 कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

